(5)

निर्णय वइजलास श्री दिव्यांशु शर्मा आर ए एस
उपखंड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या:- 15/2015

दायरा दिनांक:- 19 .02.2015

निर्णय दिनांक:- 31.03.2022

उनवान

चतुर्भुज पुत्र श्री छोगालाल जाति माली निवासी नगर पालिका कॉलोनी बारां जिला बारां

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बारां

वाद पत्र 88, 89, 90, 91, 92, 188 आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक:- 31.03.2022

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 89 90 91 92 188 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम बारां तहसील बारा में संवत 2031 से 2034 की जमाबंदी में खसरा नंबर 280 रकवा 4 बीघा 9 बिस्वा खसरा नंबर 288 रकवा दो बीघा 1 बिस्वा एवं खसरा नंबर 270 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा कुल किता तीन रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा भूमि स्थित थी जो वादी के नाम बतौर खातेदार कृषक दर्ज थी यह भूमि वादी ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद की थी जो वादी के नाम खाते दर्ज हुई थी इसका बाद ही एकमात्र खातेदार कृषक दर्ज है तथा इन समस्त भूमियों को आगे विवाद व्यर्थ भूमियों के नाम से संबोधित किया जा रहा है राजस्व नक्शा ट्रेस में तीनो भूमिया एक ही जगह पर स्थित है वक्त भू प्रबंध कार्य भू प्रबंध विभाग ने उक्त आराजीयात के खसरा नंबर 280 रकवा 0. 33 हेक्टेयर खसरा नंबर 284 रकवा 0.02 हेक्टेयर खसरा नंबर 297 रखवा 0. 27 हेक्टेयर कुल किता तीन रखवा 1 .22 हेक्टेयर कायम किए हैं। मुताबिक पुराने लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड के वादी के खाते व कब्जे में जो भूमि 9 बीघा 6 बिस्वा थी उसका नया रखवा 1.49 हेक्टेयर कायम करना चाहये था किंतु भू प्रबंध विभाग के

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

कर्मचारियों ने गलती व लापरवाही से वादी के खाते में मात्र 1.22 हेक्टेयर भूमि ही कायम की एवं शेष 0.27 हेक्टेयर भूमि सिवायचक दर्ज कर दी जो वादी की भूमि से लगी हुई खसरा नंबर 285 में मिला दी खसरा नंबर 285 का मालिक प्रतिवादी है एवं यही विवाद का कारण है। बादी मुताबिक राज्य सरकार आज भी अपने पुराने रखने के अनुसार उसी जगह काबिज है। केवल मात्र राज्य कर्मचारियों की गलती से रकवा कम कर सिवायचक कर दिया गया है इस कारण वादी अपनी कम की हुई 0. 27 हेक्टेयर भूमि को वापस अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है। विवाद ग्रस्त 0.27 हेक्टेयर भूमि सिवायचक दर्ज होने के कारण एवं कब्जा वादी का होने के कारण प्रतिवादी उसे धारा 91 एलआर एक्ट के तहत नोटिस देकर बेदखल करने की धमकी देते हैं जिससे वादी के अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है वादी खिलाफ प्रतिवादी स्थाई निषेधाज्ञा जारी करा पाने का अधिकारी है। वादी ने दिनांक 9:12 2014 को प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधि जिला कलेक्टर 12 को नोटिस कानूनी दिलवाया जिस का मियाद दिनांक 9.2.2015 को समाप्त हो गई किंतु उन्होंने कोई सहायता नहीं पहुंचाई बाद कारण दिनांक 11 2014 को मियाद नोटिस समाप्त होने पर उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी गण को जरिए सम्मन तलब किया गया वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2038 से 2000 57 ग्राम नलका ,नकल जमाबंदी ग्राम नलका संवत 2031 से 2034, नकल जमाबंदी ग्राम नलका संवत 2067 से 2070 खाता संख्या 41 ,नकल नक्शा ट्रेस ग्राम नलका पेश किया गया नकल नक्शा ट्रेस सेटलमेंट पूर्व ग्राम नलका पेश किया गया साक्ष्य वादी में चतुर्भुज पुत्र छोगालाल का शपथ पत्र पेश किया गया।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई भैंस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया वकील वादी का कथन है की वादित आराजी वाके ग्राम नलका में स्थित है बादी के खातेदारी एवं कब्जे काश की आराजी को सेटलमेंट विभाग द्वारा 0.27 हेक्टेयर भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया गया है। वादी के खाते में 1. 22 हेक्टेयर भूमि कायम की थी शेष 0. 27

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

हेक्टेयर भूमि खसरा नंबर 285 में मिला दी। वादी खसरा नंबर 285 में 0.27 हेक्टेयर अधिक भूमि दर्ज की गई है जिससे वादी अपने खातेदारी में दर्ज कराने का अधिकारी है। वादी द्वारा भू प्रबंध विभाग का मिलान क्षेत्रफल नकल जमाबंदी संवत 2021 से 2038 एवं सेटलमेंट से पूर्व एवं वर्तमान नक्शा ट्रेस पेश किया है। वादी के खातेदारी में दर्ज भूमि का रकबा कम किया है जिसे दुरुस्त कराने के वादी अधिकारी हैं वादी का वाद स्वीकार किया जावे।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई पत्रावली एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2067 से 2070 पेश की गई है जिसमें बादी के खाते मैं 1.22 हेक्टेयर भूमि दर्ज है नकल जमाबंदी संवत 2031 से 2038 में वादी के खातेदारी में 9 बीघा 6 बिस्वा भूमि दर्ज है वादी ने अपने बागपत में खसरा नंबर 285 रकवा 15. 85 हेक्टेयर भूमि मैं मिलाना बताया है वादी द्वारा खसरा नंबर 285 की नकल जमाबंदी पेश नहीं की है जिससे यह पता लगाया जा सके कि खसरा नंबर 285 किसके खातिरदारी में दर्ज है। वादी द्वारा संपूर्ण नकली पेश नहीं करने के कारण यह नहीं कहा जा सकता की खसरा नंबर 285 मैं कितना रखवा अधिक है तथा किसकी खातिरदारी में बढ़ाया गया है वादी द्वारा यह भी अंकित नहीं किया गया कि किस खसरा नंबर में से कितना रकवा कम किया गया है वादी यह साबित करने में विफल रहे हैं अतः वादी का वाद चलने योग नहीं होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद तथ्यहीन एवं सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया

दिव्यांशु शर्मा
उपखण्ड अधिकारी
बारां
(आर ए एस)
उपखंड अधिकारी बारां

Scanned with CamScanner

लय उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.) (8)

डिक्री

वाद संख्या 15/15	धारा अंतर्गत 88, 89, 90, 91, 92, 188 RTA	निर्णय दिनांक 31.3.22
समक्ष - श्री दिव्यांशु शर्मा आर ए एस उपखण्ड अधिकारी बारां		
उपस्थिति - अभिभाषक वादी Sh. B.L Jain		अभिभाषक प्रतिवादी

वाद शीर्षक

चतुर्भुज पुत्र छोगालाल जाति माली निवासी नगर पालिका कॉलोनी बारां

बनाम

राज० सरकार जरिये तहसीलदार बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद तलबी एवं गैरहाजिर होने के कारण खारिज किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 31.3.22 को निर्गत किया गया।

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी, बारां

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी बारां)

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य प्रत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		
7	फीस कमिश्नर		
8	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9	ब्याज (%)		
	योग		

Scanned with CamScanner